हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून,
दूरभाष 0135–2723321, 2723322 फैक्स नं0 0135–2723323
वेबसाईट: **www.hnbumu.ac.in** ईमेल: **info.hnbumu@gmail.com**

सी0एच0ओ0 / एम0एल0एच0पी0 के पदो पर नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) पदों को संविदा पर भरे जाने हेतु परीक्षा का अयोजन कर परीक्षाफल के आधार पर काउन्सिलिंग का आयोजन करने के उपरान्त दिनांक 27.03.2021 को जनपदवार आवंटन कर अभ्यर्थियों की सूची निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु प्रेषित की गयी।

इस क्रम निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा सी0पी0एच0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0एल0एच0पी0 के पद पर तैनाती के संबंध में जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति (समस्त जनपद) उत्तराखण्ड को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। (छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न)

अतः चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु **www.ukhfws.org** का नियमित रुप से अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः–दिनांक 03.04.2021

परीक्षा नियंत्रक

Scanned with CamScanner

कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन/फैक्स 0135-260864

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक:- 08 /NHMUK/2020-21/CPHC/MLHP/08 दिनांक– 01/04/2021

सेवा में,

जिला अधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति
समस्त–जनपद, उत्तराखण्ड।

विषय: – CPHC कार्यक्रम के अन्तर्गत MLHP के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष कार्यकारणी, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत CHO/MLHP के रिक्त पदों हेतु Integrated Curriculum of B.Sc Nursing & Post basic B.Sc Nursing Course से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का आयोजन कर परीक्षाफल दिनांक 17.03.2021 एवं तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.03.2021 को काउन्संलिग का आयोजन करने के उपरान्त नियमानुसार जनपदवार आवटंन किया गया है। **(विश्वविद्यालय का पत्र एवं अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।)**

उक्त नियुक्ति संविदा के आधार पर दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि हेतु की जा रही है, तद्पश्चात कार्यक्रम की निरन्तरता/भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार उनका संविदा नवीनीकरण सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति द्वारा Performance Appraisal के आधार पर किया जाएगा।

कृपया जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति अपने स्तर से अभ्यर्थियों की सूची (संलग्न) के अनुसार Health & Wellness Centre का आवंटन एक सप्ताह के भीतर कर निम्न प्रतिबन्धों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का कष्ट करें:–

1. Mid Level Health Provider (Contractual) के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को भारत सरकार की Guidelines के अनुसार प्रतिमाह रुपया 25000/–(रुपया पचीस हजार मात्र) नियत मानदेय तथा रुपया 15000/– (रुपया पन्द्रह हजार मात्र) Performance Base मानदेय की दर से देय होगा। Performance Incentive निर्गत किये जाने हेतु Criteria/Guidance Note पत्र के साथ संलग्न है, जिसका अनुपालन करते हुये प्रत्येक माह उक्त कार्मिको को समेकित भुगतान की कार्यवाही की जानी है।
2. जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति से नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को अपनी योगदान सूचना देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान न देने पर समिति के साथ हस्ताक्षिरत अनुबन्ध (Surety Bond) के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को रूपया 100/– के Non-Judicial Stamp Paper पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के साथ अनुवन्ध हरताक्षिरत करना होगा।
4. समस्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा स्वतः चयन किए गये जनपद में तैनाती दी गयी है। अतः तैनाती जनपद पर कोई परिवर्तन किए जाने हेतु किसी प्रत्यावेदन पर राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
6. समस्त अभ्यर्थियों की संविदा पर नियुक्ति जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के नियम एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

Scanned with CamScanner

7. जनपदीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्ययोजना के अन्तर्गत H&WC की स्थापना हेतु **अनुमोदित विकासखण्डों के उपकेन्द्रों में ही MLHP की तैनाती की जानी है,** जो उपकेन्द्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) या राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी (SAD) के परिसर में स्थित है उनमें MLHP की तैनाती नहीं की जानी है। **H&WC में तैनाती Centers की कार्यात्मक पूर्णता के आधार पर वरियता देते हुए की जानी है।**

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा० सरोज नैथानी)
निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. कुलपति हे०न०ब०, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, को उपरोक्तानुसार MLHP को Health & Wellness Centre में तैनाती के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, सी०पी०एच०सी०, एन०एच०एम०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी (उपरोक्तानुसार वेबसाइट www.uklifws.org पर उपलब्ध)।

(डा० सरोज नैथानी)
निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner